न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—101 / 2017 / 225 (2017 / 00101)

1. आनन्दीलाल पुत्र स्व0 कानाराम, जाति दरोगा, निवासी गाडोता, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. मनोहरसिंह पुत्र सोनसिंह, जाति दरोगा, निवासी महंला, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. राजू पुत्र सोनसिंह, जाति दरोगा, निवास महंला, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर (फौत) जरिये वारिसानः—
   2 / 1— नाथी पत्नी स्व0 राजूसिंह,
   2 / 2— चन्दा पुत्री स्व0 राजूसिंह,
   2 / 3— तारा पुत्री स्व0 राजूसिंह,
   2 / 4— पूजा पुत्री स्व0 राजूसिंह,
   2 / 5— आरती पुत्री स्व0 राजूसिंह,
   2 / 6— हीना पुत्री स्व0 राजूसिंह,
   2 / 7— मंसा पुत्री स्व0 राजूसिंह,
   2 / 8— दीपिका पुत्री स्व0 राजूसिंह,
   समस्त जाति दरोगा, निवासी महंला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर नागालिग जरिये प्राकृतिक माता नाथी पत्नी राजूसिंह ।
3. रतन पुत्री सोनसिंह, जाति दरोगा, निवासी महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. चौसर कंवर पुत्री सोनसिंह, जाति दरोगा, निवासी महलां, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर ।
5. लाली पुत्री सोनसिंह, जाति दरोगा, निवासी महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
6. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. सब रजिस्ट्रार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू, दिनांक 28.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 288 / 2017 (169 / 2007).

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 / 1 से 2 / 8 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7.

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 28.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक वाद बाबत् इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 8 इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के नाम मुल्या पुत्र रोडूराम कौम दरोगा की पुश्तैनी आराजियात खसरा नंबर 53/3, 66, 67/2, 68 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम गाडोता, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है । प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्शित आराजियात प्रार्थी/वादी के नाम मुल्या के परिवार की पुश्तैनी आराजियात थी जिससे मुल्या से पूर्व उसके पूर्वज काबिज काश्त थे तथा पर्चा सेटलमेंट के बाद से ही मुल्याराम काश्त करता चला आ रहा है । इस प्रकार विवादित आराजियात मूल्या के कब्जे काश्त की थी इस कारण पर्चा बरवक्त सेटलमेंट मुल्या के नाम से आ गया जबकि विवादित आराजियात पैतृक थी जिसमें मुल्या, गुलाबदेवी, सोनी देवी, अयोध्यादेवी का उक्त आराजियात में बराबर हिस्सा निहित था। प्रार्थनापत्र/वाद में दर्शित सजरा अनुसार प्रार्थी के नाना का पुत्र नहीं होकर केवल दो पुत्रियां क्रमशः सोनीदेवी व अयोध्यादेवी ही थी । अतः उक्त विवादित आराजियात में मुल्या 1/4, गुलाबदेवी 1/4, सोनीदेवी 1/4 व अयोध्यादेवी 1/4 हिस्सा निहित होता है । मुल्या ने विवादित आराजियात का बक्शीशनामा सन् 1961 में अपनी बड़ी पुत्री के पति अर्थात् बड़े दामाद कानाराम के हक में कर दिया था जिससे उक्त आराजियात का नामांतकरण बख्शीशनामे के आधार पर अकेले बड़े दामाद कानाराम के नाम खुल गया तथा कानाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके पुन आनन्दीलाल के नाम विवादित आराजियात का विरासत नामांतकरण खुल चुका है । मुल्या ने उक्त पुश्तैनी आराजियात का संपूर्ण भाग अपने बड़े दामाद कानाराम के नाम बख्शीश कर दिया जो कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के विरूद्ध है । मुल्या को केवल अपने 1/4 हिस्से तक बख्शीश करने का अधिकार था । अतः उसके हिस्से से अधिक का किया गया बख्शीशनामा बातिल एवं बेअसर है एवं विधिशून्य है ।
3. प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया कि प्रार्थी ग्राम महलां से गाडोता गया हुआ था तभी प्रार्थी ने देखा कि विवादित आराजियात को अप्रार्थी संख्या 1 दीगर व्यक्तियों को बेचने की फिराक में था । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व दीगर व्यक्तियों को उक्त आराजी में अपना हिस्सा होने की बात कही तब अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त विवादित आरायिजात को अपने पिता के नाम से बख्शीशनामा के आधार पर अपने नाम होना बताया । इस पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 6 लगायत 8 को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजियात का रहन, बेचान, मुन्तकिल नही करे न ही अन्य से करावें एवसं कब्जे काश्त ममें बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही अन्य से करावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांट को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश दिनांक 28.6.2016 को पारित किये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का प्रश्नगत आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में कोई स्पष्ट निष्कर्ष व्यक्त नहीं किये है, वरन् एक साईक्लोस्टाईल पेपर में कम्प्यूटर से पूर्व से ही टाईपशुदा पन्ने का आदेशिका बनाते हुए उसमें पेन से खसरा नंबर अंकित करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है जो किसी भी प्रकार से आदेश की श्रेणी में नहीं आने से निरस्तनीय है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 एवं जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3–ए के प्रावधानों के विपरीत वादग्रस्त आराजियात पर एकपक्षीय रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये काबिज काश्तकार को उनके अधिकारों से महरूम करने की नियत से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है जो प्रथमदृष्टया ही न्यायिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि मूल्या वल्द रोडू कौम दरोगा की स्वअर्जित आराजी खसरा नंबर 56/3, 66, 67/2, 68, 124, 125, 126, 129 कुल किता 8 कुल रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम गाडोता, तह0 मौजमाबाद की थी, जिसको मूल्या वल्द रोडू ने काना पुत्र नारायण दरोगा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता को बख्शीश कर दी थी, काना पुत्र नारायण के बख्शीश नामांतकरण संख्या 42 दिनांक 16.3.1961 को ग्राम पंचायत गाडोता द्वारा तस्दीक किया जाकर राजस्व अभिलेखों में काना पुत्र नारायण दरोगा के नाम अंकन कर दिया तब से ही उक्त आराजी को काना तथा काना जब तक जीवित रहा तब तक काश्त करता, उसके मरने के बाद उक्त आराजी का फौती विरासत का नामांतकरण संख्या 407 उसके वारिसान द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में रजिस्टर्ड हक त्याग भरा जाकर दिनांक 7.2.2005 को तस्दीक किया गया । उक्त आराजी पर तब से लेकर अब तक निर्बाध रूप से प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट शांतिपूर्वक काबिज काश्त है । बहस में आगे कथन किया कि वादी ने स्व0 मूल्या की पुत्री श्रीमती सोनीदेवी पत्नि कानाराम जो कि अपीलांट की माता है को मृतक बताया है जबकि श्रीमती सोनीदेवी जीवित है जिसे वादी ने अधी0न्याया0 में वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है । इस बाबत् अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने जवाबदावे एवं जवाब प्रार्थना पत्र में ऐतराज किया था जिस पर भी अधी0न्याया0 ने गौर नहीं किया । प्रार्थी ने जानबूझकर गलत व झूंठे तथ्यों के आधार पर गलत सजरा पेश करते हुए वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि स्व0 मूल्या द्वारा सन् 19761 में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के पिता काना पुत्र नारायण के हक में किये गये बख्शीशनामे को निरस्त करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है । राजस्व न्यायालय को बख्शीशनामे को निरस्त करने के संबंध में श्रवणाधिकार नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट विवादित आरायिजात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है । कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अप्रार्थी संख्या 6 गुलाबदेवी पत्नी स्व0 मूल्या दरोगा, का स्वर्गवास सन् 2008 में हो गया है, परन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा अधी0न्याया0 ने भी मृत व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनाक 28.6.2016 निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 28.6.2016 की जानकारी अपीलांट को कभी भी नहीं रही है । दिनांक 10.4.2017 को अपीलांट को अधी0न्याया0 के आदेश की प्रथम बार जानकारी होते ही अविलम्ब नकल तैयार करवाकर यह अपील पेश की है । अपील में विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है अपितु जानकारी के अभाव में हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

7. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पैतृक आराजियात है किन्तु कब्जा मूल्या को होने से बरवक्त सैटलमेंट पर्चा मूल्या के नाम आ गया था जबकि विवादित आराजियात पैतृक होकर इसमें सभी का बराबर हक व हिस्सा निहित था । विवादित आराजियात पैतृक होने से मूल्या को विवादित आराजियात बड़े दामाद कानाराम को बख्शीश करने का अधिकार नहीं था । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार पैतृक भूमि को बख्शीश नहीं किया जा सकता है । ज्यादा से ज्यादा मूल्या अपने 1/4 हिस्से को ही बख्शीश कर सकता था । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात के संबंध में रेस्पो0 संख्या 1/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद विचाराधीन है यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात का बैचान, हस्तातंरण हो जाता है तो अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा तथा और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी जिसकी रोक–थाम हेतु अधी0न्याया0 ने अपीलांट को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने मात्र 10–12 लाईन में संक्षिप्त आदेश पारित कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 को निर्णित करने हेतु आवश्यक घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के संबंध में अपने आदेश में किसी प्रकार का विवेचन, विश्लेषण नहीं किया है जबकि उक्त घटकों का विवेचन, विश्लेषण किया जाना आवश्यक है । अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं कर मात्र सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् एवं न्यायिक आदेश नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2016 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये आब्जर्वेशनस् के कम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को दो माह में गुणावगुण पर निर्णित करे । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण के निस्तारण तक उभयपक्ष विवादित आराजियात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर